

दिनांक किरम:- दावा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 आर.टी.एक्ट.

<p>शेख वम</p>	<p>हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नाम व तारीख नाम व तारीख नाम व तारीख नाम व तारीख</p>
<p>12.08.2025</p>	<p>पत्रावली वकील वादिया ने पेश की गई। वकील वादिया को सुना गया। अतः दावा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 आर.टी.एक्ट, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली वास्ते तलबी प्रति० हेतु दिनांक 26.09.2025 को पेश हो।</p> <p>14/8/25 भाज मह पत्रावली वादिया के पत्र पत्र पर तलब की गई। वादिया के पत्र पत्र में वादिया के खिलाफ पत्र कार्यालय के मध्य सचीनाका हो चुका है एवं हम अपने साथे को सचो पत्रावली करीं सलगे के साथे को रखी शका पर शपार्जि डिमा जाये वादिया को पहचान वकीलवादी पुष्टेन्डु सिरे ने की गई। कतः एका वादिया को रखी शका पर शपार्जि डिमा जाता है।</p> <p>उपरोक्त अधिकारी डीप जिला मीग(राज०)</p>	<p>105/25</p> <p>वृजेश देवी बनाम हरी सिंह वगै०</p>